इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2024—आश्विन 5, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2024

क्र. 1077—1789860—2024—ए—सोलह.— मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 में संशोधन निम्नानुसार प्रस्तावित करती है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 21 जून 2024 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है. अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ख) जहां बैंक ड्राफ्ट, चैक एवं ऑनलाईन भुगतान किया जाना है, वहां रूपए पन्द्रह हजार तक का भुगतान कल्याण आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक कल्याण आयुक्त से अनिम्न पद–श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं उक्त राशि से अधिक राशि का भुगतान कल्याण आयुक्त द्वारा किया जाएगा."

No. 1077-1789860-2024-A-XVI.– Following is the amendment to Madhya Pradesh Labour Welfare Fund Rules, 1984 Draft, which the State Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33 of the Madhya Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1982 (No. 36 of 1983), the State Government hereby proposes amedments in the Madhya Pradesh Labour Welfare Fund Rules, 1984. Which is already published in the Madhya Pradesh Gazette on the 21st June 2024 under sub-section 3(1) of Section 33 of the said Act, i.e.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 15 for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :–

"(b) where bank draft, cheque and online payment is to be made, the payment up to Rupees Fifteen Thousand shall be made by an officer not below the rank of Assistant Welfare Commissioner authorized by the Welfare Commissioner and more than the said amount shall be made by the Welfare Commissioner."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2024

क्र. यूडीएच–3–0042–2024–अठारह–5.– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), दिनांक 11 जुलाई 2024 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

2. नियम 19–(क) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह भी कि, प्राधिकरण की संचयी निधि एवं अचल संपत्तियों के मूल्य के आधार पर समस्त देनदारियां, प्रचलित एवं प्रस्तावित नगर विकास स्कीम्स एवं स्थापना के व्यय आदी को सुरक्षित रखते हुए अतिशेष राशि में से नगर विकास योजना से भिन्न अधोसंरचनात्मक कार्य राज्य शासन की पूर्व अनुमति से प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर लिए जा सकेंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.